ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, *RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1,* **PP-70-73**, *YEAR 2014*

महिला सशक्तिकरण : उच्च शिक्षा में अवरोधक तत्व एवं विकासशील भूमिका

❑ डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव*
अर्चना श्रीवास्तव**

मानव समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में स्त्री एवं पुरूष दोनों का समान महत्व है। ये दानों गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं। यदि गाड़ी के दोनों पहिए असमान होते हैं तो उसका प्रभाव उसकी गति पर पड़ता है। समाज में स्त्री एवं पुरूष के स्थिति का ऑकलन करने पर हम पाते हैं कि विकास के पथ पर नारी, पुरूष के बहुत पीछे है। सामाजिक मान्यताओं एवं परम्पराओं के दुराग्रहों ने नारी को सभी सुविधाओं से वंचित कर पराधीन एवं असहाय बना दिया है और तो और आज तो नारी को उसके जन्म लेने के नैसर्गिक अधिकार से भी वंचित कर दिया है।

आज की वंचिता नारी को धार्मिक, सामाजिक, रूढ़िवादी मान्यताओं ने उसके उज्ज्वल छवि को धूमिल किया है। **ढोल गवाँर शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, या अधम से अधम अधम अति नारी**, जैसे उक्तियों ने नारी के विकास को अवरूद्ध किया है। शिक्षा विकास का एक सशक्त साधन है। इस प्रकार की मान्यताओं ने नारी शिक्षा को अवरूद्ध करके उसे दासी बना दिया है। आज तो समाज की यह स्थिति है कि नारी जन्म लेती है तो परिवार की मर्जी से जीती है तो परिवार की मर्जी से और अक्सर उसकी मृत्यु भी परिवार की इच्छा से ही होती है। **स्वामी विवेकानन्द** ने नारी की स्थिति को अग्र शब्दों में चित्रित किया है– ''स्त्रियों को सदैव असहायता एवं दूसरों पर वासत्व निर्भरता की शिक्षा दी गयी है।''

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी सरकार ने नारी की दयनीय स्थिति की सुधार की दृष्टि से तथा शिक्षा के प्रकाश से जागरूक करने हेतु अनेक कानून बनाये, योजनाएँ बनायी, परन्तु उसका लाभ भी उसे तभी मिल सकता है जब तक कि वह शिक्षित न हो। हमारे देश के 48 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली नारियॉ इन कानूनों एवं योजनाओं से अनजान हैं, क्योंकि वे अशिक्षित हैं। अतः चर्चा का विषय यह है कि नारी की शिक्षा के विकास में कौन से बाधक एवं अवरोधक तत्व हैं।

रूढ़िवादिता एवं धर्मान्धता स्त्री शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आज भी करोड़ों भारतीय रूढ़िवादी विचारों, धार्मिक अन्धविश्वासों एवं प्रगतिहीन प्राचीन परम्पराओं में सिमटे हुये हैं। वे अब भी इन प्रगतिहीन प्राचीन विचारों, रूढ़ियों एवं विश्वासों का पोषण एवं समर्थन करते हैं, फलस्वरूप स्त्री शिक्षा अपने संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। अनेक हिन्दू व मुसलमान पर्दा–प्रथा में अब भी विश्वास करते हैं और उसका परित्याग करने में अपने तथा अपने कुल की मानहॉनि समझते हैं। इन्हीं अन्धविश्वासों के कारण ही वे अपनी बालिकाओं की अल्प–आयु में विवाह कर देते हैं, परिणामस्वरूप बालिकाओं का शिक्षा से वंचित हो जाना स्वाभाविक है। इन रूढ़िवादी विचारों के सीमित दायरे में विश्वास करने वाले करोड़ों भारतीयों का बालिकाओं के प्रति उनकी अभिवृत्ति अब भी मध्ययुगीन, संकुचित तथा नकारात्मक है। वे स्त्रियों का उचित स्थान घर के अन्दर मानते हैं। लड़कियों को पराये घर की मानते हैं और उनकी शिक्षा पर बालकों की तुलना में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इन नकारात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन तो बालिकाओं के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है तभी तो उनके जन्म पर किसी भी परिवार में उदासी छा जाती हैं, शोक का माहौल बन जाता है जबकि लड़कों के जन्म पर खुशियॉ मनायी जाती है। उत्सव आयोजित किये जाते हैं। लड़कों के शिक्षा पर व्यय को

*एम0फिल0, पी–एच0डी, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, समन्वयक, उ0प्र0 रा0ट0मु0विश्वविद्यालय, पी0जी0 कालेज बॉसडीह–बलिया, उ0प्र0
** प्रवक्ता–शिक्षाशास्त्र, विभाग सतीश चन्द्र पी0जी0 कालेज, बलिया उ0प्र0

एक निवेश माना जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि इसका अधिक प्रतिफल उनको मिलेगा। लड़कियों की शिक्षा पर खर्चे को व्यर्थ में धन की बर्बादी माना जाता है क्योंकि इनका विश्वास है कि यदि लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा तो इसका लाभ उनको न मिलकर किसी गैर को मिलेगा। नारियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की यह चरमपरिणति ही है कि यह समाज उनको जन्म लेने से पहले ही मारने जैसे घिनौना कर्म कर रहा है।

स्त्री शिक्षा के मार्ग में एक प्रमुख अवरोधक तत्व भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी एवं निर्धनता है। आज भी 20 प्रतिशत भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने का मजबूर हैं। इनके पास शिक्षा के लिए न तो धन है और न समय।

शिक्षा भावी जीवन की तैयारी होती है, परन्तु आज की शिक्षा जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम के अभाव से ग्रसित है तथा यह स्त्रियों के व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान में अक्षम भी है। इसका कारण **डॉ0 एस0एन0 मुखर्जी** के अग्रांकित शब्दों में निहित है– ''आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा, बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है। यथार्थतः बालकों के पाठ्यक्रम के अलावा बालिकाओं को अन्य किसी बात की शिक्षा देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।'' विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बालिकाओं के दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का वर्णन अग्र प्रकार किया है– ''स्त्री शिक्षा की वर्तमान पद्धति, पुरूषों की आवश्यकता पर आधारित होने के कारण उनकी दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नहीं करती हैं।'' अतः जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव भी स्त्री शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

आज भी दूर–दराज गॉव, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र शिक्षा की पहुॅच से वंचित है। बालिका विद्यालयों की कमी है, ये लड़कों के विद्यालयों की तुलना में एक–तिहाई भी नहीं हैं। जो विद्यालय हैं उनमें भौतिक सुविधाओं यथा पर्याप्त एवं उचित कक्षा–कक्ष, शिक्षण सामग्री एवं शैचालयों आदि का अभाव एक बहुत बड़ा अवरोध है, तो अध्यापिकाओं का अभाव स्त्री शिक्षा के प्रयास को हतोत्साहित करता है। रही सही कसर शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन एवं सरकार की उपेक्षात्मक रवैया पूरा कर देती है। **डॉ0 मुखर्जी** के शब्दों में, ''यह निश्चय रूप से कुनियोजित प्राथमिकताओं का दुःखद उदाहरण है।''

स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकारों ने स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु अनेक प्रयास किये हैं। हमारे संविधान में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था की बात है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में **राधाकृष्ण, मुदालियर एवं कोठारी आयोग** के स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु गठित **'दुर्गाबाई देशमुख'** की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, इसके अलावा **राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्** तथा **हंसा मेहता समिति** का महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। नयी शिक्षा नीति 1986 में भी स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी कि अब स्त्री–पुरूषों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं होगा। नयी शिक्षा नीति कार्य योजना में स्त्री–शिक्षा से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों ने भी सराहनीय प्रयास किये हैं। संविधान के **अनुच्छेद 45** के अनुपालन हेतु **'सर्व शिक्षा अभियान'** को प्रारम्भ किया गया है। संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। इन सभी का सम्मिलित परिणाम ही है कि स्त्री साक्षरता 1951 में जहॉ 7.93 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 54. 16 प्रतिशत हो गयी। यदि गौर करें तो अभी भी स्त्री जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत भाग अर्थात् 22 करोड़ महिलाएँ निरक्षर हैं।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को आज वैश्विक स्तर पर समग्र विकास हेतु आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। शताब्दी विकास लक्ष्यों के आठ बिन्दुओं में लैंगिक समानता को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में न्यूयार्क में सन् 2000 में सम्पादित **शताब्दी सम्मेलन** में विश्व के राजनेताओं द्वारा स्वीकार किया गया। 1945 में हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने लैंगिक समानता

को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर इस विषय को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति प्रदान की थी। इसके बाद इस विषय पर एक के बाद कई सम्मेलन हुए जिसमें लक्ष्य एवं कार्यक्रम निर्धारित कर इसे मानव अधिकार के रूप में पहचान दिलाए जाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास अनेक अवधारणाओं से होकर गुजरते हुए आज 'महिला सशक्तिकरण' की अवधारणा तक पहुँचा है।

मनुष्य की मानसिक शक्ति के विकास हेतु शिक्षा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरूष किसी को शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता विकसित होने से रोक देना है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई हैं। यदि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सूक्ष्म अवलोकन करें तो हमें यह विदित होगा कि महिलाओं को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव, पूर्वाग्रह एवं असमानता का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वे अभी बहुत पिछड़ी हुई हैं। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अभी भी या तो अशिक्षित हैं या बहुत कम शिक्षित और यहाँ स्त्रियों में उच्च शिक्षा की दशा तो बहुत ही दयनीय है।

किसी भी सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उस सामाजिक व्यवस्था में समाज के सभी सदस्यों का सकारात्मक योगदान हो। भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का केन्द्रीय उद्देश्य यह रहा है कि समाज के सदस्यों के व्यक्तित्व का बेहतर सामाजिक–सांस्कृतिक विकास हो एवं एक उत्तरदायी नागरिक का निर्माण हो। इसके पीछे व्यवस्था में समान सहभागिता का सिद्धान्त कार्य करता है। अगर हम महिलाओं से उनके अनुपात के परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए योगदान की अपेक्षा रखते हैं तो यह तब तक सम्भव नहीं हो पायेगा जब तक कि हम व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें उनका वास्तविक हक न दे पायें। उन्हें उनका वास्तविक हक प्रदान करना इसलिए भी आवश्यक है कि विश्व का कोई भी समाज अपनी लगभग आधी आबादी को उपेक्षित करके विकास रूपी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है।

भारत महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु कृतसंकल्प है। इसके लिए अनेक प्रयास भी किये जा रहे हैं। यह अलग बात है कि समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहा है। 1970 के दशक तक राज्य की नीतियाँ महिला कल्याण पर जोर देती रहीं। 1980 के दशक में महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाता रहा तथा 1990 के दशक में **'सशक्तिकरण'** पर जोर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय समाज अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है इसका प्रमुख कारण महिला शिक्षा और उनकी उच्च शिक्षा का लक्ष्य के अनुरूप विकास न कर पाना रहा है।

उच्च शिक्षा के माध्यम से महिला जो ज्ञान, कौशल, जीवन–मूल्य और दृष्टिकोण हासिल करती है उससे वह जीवन में मनचाही गुणवत्ता ला सकती है। घर से बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह और अपने बच्चों का पथ–प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं परिवार और समाज के नीति–निर्माण की प्रक्रिया में सशक्त दोतरफा रूप से समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी, क्योंकि नीति–निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका अदा करने के साथ–साथ वह उन चीजों को भी बदलने में सक्षम हो सकेगी, जो अब तक उनके लिए नकारात्मक हुआ करती थीं और उन पर थोप दी जाती थीं। यही कारण है कि आज विभिन्न महिला संगठन संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को काफी जोर शोर से उठा रही है, ताकि वह देश के इस सर्वोच्च नीति–निर्माण की संस्था में सहभागी हो सके।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सातवें अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि 'वर्तमान सामाजिक ढाँचे में महिलाओं पर भारी बोझ है, वे घर चलाती हैं और नई पीढ़ी तैयार करना उनकी खास जिम्मेदारी है, इसके साथ ही वे प्रायः अन्य कामों में हाथ बटाँती हैं।

अशिक्षित महिला बेबश–सी अपने माता–पिता और बच्चों पर निर्भर हो जाती है, वह स्वयं अपने जीवन को एक बोझ समझने लगती है। उच्च शिक्षा महिलाओं में स्वाभिमान की भावना जगाती है और उनके कार्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार करती है। उच्च शिक्षित महिला काम कर सकती है, व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान बना सकती है तथा अपनी प्रतिभा द्वारा परिवार व समाज का नाम रौशन कर सकती है। यदि वह घर पर रहना चुनती है तो वह अपने बच्चों का प्रभावशाली ढंग से पथ–प्रदर्शन कर सकती है और अपने परिवार को विभिन्न प्रकार से सहायता करने में सक्षम हो सकती है।'

विश्व–विकास की एक रिपोर्ट भी यह स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में मददगार होने के साथ ही, प्रजननता को कम करने, बच्चों के उचित पालन–पोषण तथा माता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहॉ गरीबी और अशिक्षा एक भयंकर समस्या है, वहॉ स्त्रियों की उच्च शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियॉ आज भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमारे संविधान में स्त्री और पुरूष दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी वर्ग, लिंग या सम्प्रदाय का हो उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। भारत के शिक्षा को आधुनिकीकरण, महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। वास्तव में शिक्षा को सामाजिक बदलाव की स्वीकृति या अस्वीकृति का महत्त्वपूर्ण घटक माना गया है। उच्च शिक्षा समाज में लम्बवत् सामाजिक गतिशीलता लाने में सक्षम है। शिक्षा पाना प्रत्येक व्यक्ति की न सिर्फ न्यूनतम आवश्यकता है, बल्कि अधिकार भी हैं। यह देश के आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक ढॉचे के विकास की गति में उर्वरक का काम करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्धारकों की सही जॉच और योजनाओं की वजह से शिक्षा और विशेष रूप से स्त्री–शिक्षा की तरफ देश को आजादी मिलने से पहले के वर्षों के मुकाबले बहुत ध्यान दिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला के उच्च शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाय और जिस तरह हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया है उसी प्रकार महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु भी विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु तमाम प्रयास एवं उपाय ऊँट के मुँह में जीरा ही सिद्ध हो रहे हैं। भारत में स्त्री–शिक्षा की वर्तमान दशा एवं दिशा को देखने से लगता है कि इसके विकास में अभी भी अनेक बाधाऍ एवं अवरोध विद्यमान हैं। अतः इनका उन्मूलन करने हेतु ईमानदारीपूर्वक बहुविमीय सार्थक पहल एवं प्राथमिकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। **महात्मा गाँधी** ने भी कहा है कि– ''स्त्रियों को शिक्षित करने की समस्या को हल किये बिना बच्चों को शिक्षित करने के समस्या का समाधान संभव नहीं है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. आर्य साधना, मेनन निवेदिता तथा लोकनीता जिनी (2008): नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे, दिल्ली, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय।
2. चौबे, सरयू प्रसाद (2005): तुलनात्मक शिक्षा, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
3. जोशी, गोपा (2008): भारत में स्त्री असमानता: एक विमर्श, दिल्ली, हिन्दी माध्यम से कियान्वयन निदेशालय।
4. झा, द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमाली कृष्ण: प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली, हिन्दी माध्यम कियान्वयन मोहन (2008)।
5. पाठक, पी0डी0 (2006): भारतीय शिक्षा व उसकी समस्याऍ, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
6. लाल, रमन बिहारी (2007): भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी समस्याऍ, मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
7. दैनिक जागरण, 24 फरवरी व 2 के अंक: फरवरी, 2009।
8. आशा कौशिक: नारी सशक्तिकरण, विमर्श एवं यथार्थ बुक इनक्लेव, शान्तिनगर, जयपुर।
9. राम आहूजा: 'व्हायलेन्स अगेन्स्ट ओमेन'– रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
10. डॉ0 सुरेन्द्र सिंह एवं डॉ0 सुषमा मल्होत्रा: समकालीन भारतीय समाज, भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी।
11. योजना, मार्च 2006।